हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/2 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 10/2/22 को पेश हो।	
10/2/22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 30.7.21 को जवाब दिया जा चुका है। वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 18.2.22 को पेश हो।	
18/2/22 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली [illegible] 22/2/22 को पेश हो।	
22/2/22 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 24/2/22 को पेश हो।	
24/2/22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 15.3.22 को पेश हो।	
15/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस दिनांक 24/2/22 को सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम करणवास पटवार हल्का भावलास तहसील मांडल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता संख्या 72 में दर्ज आ०न० 261 रकबा 0.06 बीघा व आ०न० 262 रकबा 1.15 बीघा एवं खाता संख्या 73 में दर्ज आ०न० 179 रकबा 0.16 बीघा, आ०न० 180 रकबा 2.00 बीघा, आ०न० 260 रकबा 2.02 बीघा, आ०न० 726 रकबा 0.11 बीघा, आ०न० 727 रकबा 0.14 बीघा, आ०न० 741 रकबा 1.11 बीघा, आ०न० 789 रकबा 0.10 बीघा भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवासी कणवास तह० प्रार्थी धीतर पिता मांगू तेली माण्डल के खातेदारी एवं कब्जे की है। प्रार्थी धीतर ने अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से आ०न० 261 व 262 रकबा 2.01 बीघा तथा खाता संख्या 73 मे अंकित आराजीयात में से आ०न० 260-741-789 रकबा 4.03 बीघा भूमि पंजीबद्ध बक्शीसनामा दिनांक 31-7-2018 से अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 के पक्ष में जरिये दानपत्र (बक्शीसनामा) से अन्तरित की गई परन्तु राजस्व कर्मियों के द्वारा बिना पंजीबद्ध दस्तावेज (दानपत्र) के देखे खाता संख्या 72 व 73 में अंकित समस्त आराजीयात को जरिये नामान्तकरण संख्या 1005 के द्वारा अप्रार्थी गोपाल लाल, रामेश्वरलाल, लक्ष्मण पिता धीतर के नाम पर खातेदारी हकसे दर्ज कर दी जो विधि विरुद्ध है। जिसे दुरुस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। अप्रार्थी गोपाललाल ने प्रार्थना पत्र की ताईद में अपना इकबालिया जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब के माध्यम से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सही होना स्वीकार किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम कणवास की नकल जमाबन्दी के खाता संख्या 72 में दर्ज आराजी नं० 261 व 262 का कुल रकबा 2.01 बीघा तथा खाता संख्या 73 में दर्ज आराजी नं० 179-180-260-726-727-741-789 कुल कीता 7 कुल रकबा 8.04 बीघा भूमि धीतर पिता मांगू तेली के स्वामित्व की थी इसमें से खाता संख्या 72 की आ०न० 261-262 कीता 2 कुल रकबा 2.01 बीघा व खाता संख्या 73 की आ०न० 260-741-789 कीता 3 कुल रकबा 4.03 बीघा भूमि को प्रार्थी धीतर ने जरिये पंजीबद्ध दानपत्र दि० 31-7-2018 से अप्रार्थी गोपाललाल	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल-जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामेश्वरलाल, लक्ष्मण पिता धीतर तेली को अंतरित किए जाने की पुष्टि स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दानपत्र की फोटो प्रति एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब से होती है। परन्तु अन्तरित की गई आराजीयात के सम्बन्ध में जो नामान्तरकरण संख्या 1005 दिनांक 5/9/2018 स्वीकृत किया उसमें खाता सं० 73 के कीता 3 का कुल रकबा 8.04 बीघा अंकित किया जबकि कॉलम संख्या 10 में कीता 3 के बजाय आराजी कीता 7 अंकित कर दिया जो स्वतः विरोधाभाषी है। अर्थात प्रार्थी ने स्वयं के स्वामित्व की खाता सं० 73 में अंकित आराजी नं० 179-180-260-726-727-741-789 में से कुल रकबा 8.04 बीघा में से आ०न० 260-741-789 कुल कीता 3 कुल रकबा 4.03 बीघा ही स्थानान्तरित किया परन्तु नामान्तरकरण में त्रुटिवश 3 कीता के बजाय कीता 7 व कुल रकबा 4.03 बीघा के बजाय 8.04 बीघा सम्पूर्ण अंतरित करते हुए अप्रार्थी गोपाललाल, रामेश्वरलाल, लक्ष्मण पिता धीतर तेली नि० कणवास के नाम गलत दर्ज कर दी जिसे स्वयं अप्रार्थीगण ने भी जवाब में स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. act 1956 के तहत स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कणवास प० ह० भावलास त० मांडल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में नवीन खाता संख्या 58 में गोपाललाल 1/3 रामेश्वर लाल 1/3 लक्ष्मण 1/3 पिता धीतर तेली सा० देह के नाम दर्ज आराजी नम्बर 179 रकबा 0.2023 हे० आ०न० 180 रकबा 0.5059 हे०, आ०न० 726 रकबा 0.1391 हे०,	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आ०न० 727 रकबा 0.1770 है० कुल कीता 5 कुल रकबा 1.0243 हैक्टर को खातेदारी से हटा कर प्रार्थी छीतर पिता मांगू तेली निवासी कणवास के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से दर्ज किया जावे। आदेश आज दिनांक 15/3/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा